भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1931
गुरुवार, 11 दिसंबर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिए तंत्र

1931. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के अनुबंध 13 के अंतर्गत मानकों और अनुशंसित पद्धतियों के अनुरूप देश में विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जाँच के लिए एक पूर्णतः स्वतंत्र, वैधानिक तंत्र स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) का कार्यात्मक स्वायत्तता, तकनीकी क्षमता की पर्याप्तता और विनियामक या परिचालन हितों के टकराव से पृथक्करण के लिए मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मूल्यांकन के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने जनशक्ति, फोरेंसिक क्षमता, दुर्घटना-स्थल जाँच संबंधी अवसंरचना या उड़ान डेटा विश्लेषण उपकरणों की सुविधा में कमियों की पहचान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का संस्थागत स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने के लिए वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2012 में संशोधन करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एक पूर्णतः स्वायत्त और अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन वाला विमानन सुरक्षा जाँच तंत्र आरंभ होने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ङ): अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंध 13 में निहित 'मानक और अनुशंसित परिपाटियों' (एसएआरपीएस) के अनुसार, नागर विमानन मंत्रालय ने अन्वेषण करने में कार्यात्मक स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जुलाई, 2012 में एक स्वतंत्र निकाय के रूप में वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) की स्थापना की। एएआईबी का प्रशासन महानिदेशक (डीजी), एएआईबी के अधिकार क्षेत्र में है।

एएआईबी की विशेषज्ञता और तकनीकी बेस के संवर्धन के लिए, वर्ष 2022 में 14 अतिरिक्त पद सृजित किए गए, जिससे स्वीकृत पदों की संख्या वर्ष 2015 में 21 पदों से बढ़कर वर्ष 2022 तक 35 पद हो गई।

अप्रैल 2025 में एएआईबी में कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (एफडीआर) प्रयोगशाला स्थापित की गई है, और सेट-अप का चरण-I पूरा हो गया है एवं लैब के चरण-II का उन्नयन कार्य आरंभ किया जा रहा है।

दिनांक 1 जनवरी, 2025 से लागू भारतीय वायुयान अधिनयम, 2024 के पारित होने के पश्चात, वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियमावली, 2025 को अधिसूचित किया गया है। यह नियमावली एएआईबी को विमान दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं की स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करने का अधिकार देती हैं।

*****